हिमाचल प्रदेश तेरहवीं विधान सभा

पंचम सत्र

<u>समाचार भाग-1</u>

संख्याः 46

शनिवार, 16 फरवरी, 2019/27 माघ, 1940(शक्)

सदन की कार्यवाही का संक्षिप्त अभिलेख

समयः 11.00 बजे (पूर्वाह्न)

सदन की बैठक माननीय अध्यक्ष डॉ0 राजीव बिन्दल की अध्यक्षता में 11.00 बजे पूर्वाह्न आरम्भ हुई।

1. प्रश्नोत्तर

(I) तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्याः 1468, 1469, 1471, 1473 से 1475, 1112, 1477 व 1479 से 1481 तक के उत्तर पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा संबंधित मंत्रियों द्वारा उत्तर दिए गए। सदस्यों की अनुपस्थिति के कारण तारांकित प्रश्न संख्याः 1470, 1472 व 1478 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए। तारांकित प्रश्न संख्याः 1476 व 1481 के उत्तर पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा वन मंत्री (प्राधिकृत) द्वारा उत्तर दिए गए। तारांकित प्रश्न संख्याः 1482 से 1501 तक के उत्तर संबंधित मंत्रियों द्वारा दिए गए समझे गए।

(II) अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्याः 410 से 430 तक के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

2. कागज़ात सभा पटल पर

(1) **श्री महेन्द्र सिंह, सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मन्त्री (प्राधिकृत)** ने निम्नलिखित दस्तावेज़ों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखीः-

(i) भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश कार्मिक विभाग (सचिवालय प्रशासन), पुस्तकाल्याध्यक्ष, वर्ग-III (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2019 जोकि अधिसूचना संख्याः पर (एस ए एस-I) ए (3)-1/2016 दिनांक 24.01.2019 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 05.02.2019 को प्रकाशित;

(ii) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(4) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश सड़क एवं अन्य संरचना विकास निगम सीमित, शिमला का 19वां वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2017-18; और

(iii) हिमाचल प्रदेश आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 की धारा 70 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण के द्वितीय वार्षिक लेखे एवं लेखा परीक्षा प्रतिवेदन, वर्ष 2017-18.

(2) **श्री गोविन्द सिंह ठाकुर, वन मन्त्री (प्राधिकृत)** ने कम्पनी अधिनियम, 2003 की धारा 395(1) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम सीमित का 37वां वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2016-17 की प्रति सभा पटल पर रखी ।

(3) **श्री सुरेश भारद्वाज, शिक्षा मन्त्री** ने हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के अधिनियम, 1968 की धारा 15(1) और (4) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड, धर्मशाला का वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन एवं लेखा विवरण वर्ष 2017-18 (1.4.2017 से 31.3.2018 तक) की प्रति सभा पटल पर रखी।

(4) **श्री गोविन्द सिंह ठाकुर, वन मन्त्री (प्राधिकृत)** ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश आयुर्वेद विभाग, संयुक्त निदेशक, वर्ग-I (राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2018 जोकि अधिसूचना संख्याः आयु0-बी0 (7)-2/2013 दिनांक 18.06.2018 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 23.07.2018 को प्रकाशित, की प्रति सभा पटल पर रखी।

3. सदन की समितियों के प्रतिवेदन

(1) **श्रीमती आशा कुमारी, सभापति, लोक लेखा समिति** ने समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपःस्थापित की तथा सदन के पटल पर रखीः-

(i) समिति का 43वां मूल प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2009-10 (राज्य के

वित्त/सामाजिक सामान्य एवं आर्थिक क्षेत्रों) पर आधारित तथा ग्रामीण विकास विभाग से सम्बन्धित है;

(ii) समिति का 44वां मूल प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2010-11 (राज्य के वित्त) पर आधारित तथा ग्रामीण विकास विभाग से सम्बन्धित है; और

(iii) समिति का 45वां मूल प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2011-12 (राज्य के वित्त) पर आधारित तथा ग्रामीण विकास विभाग से सम्बन्धित है;

(iv) समिति का 46वां मूल प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2012-13 (राज्य के वित्त/सामाजिक सामान्य एवं आर्थिक क्षेत्रों) पर आधारित तथा ग्रामीण विकास विभाग से सम्बन्धित है;

(v) समिति का 47वां मूल प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2014-15 (राज्य के वित्त) पर आधारित तथा श्रम एवं रोजगार विभाग से सम्बन्धित है; और

(vi) समिति का 48वां कार्रवाई प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 375वें मूल प्रतिवेदन (नवम् विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा वन विभाग से सम्बन्धित है।

(2) **श्री सुरेश कुमार कश्यप, सभापति, सामान्य विकास समिति** ने समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपःस्थापित की तथा सदन के पटल पर रखीः-

(i) समिति का ग्यारहवां मूल प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) जोकि आवास विभाग से सम्बन्धित आश्वासन के कार्यान्वयन पर आधारित है;

(ii) समिति के 15वें मूल प्रतिवेदन (ग्यारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2009-10) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर बना पंचम् कार्रवाई प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2013-14) में निहित सिफारिशों पर सरकार द्वारा कृत कार्रवाई पर आधारित अग्रेत्तर कार्रवाई विवरण जोकि शहरी विकास विभाग से सम्बन्धित है।

श्री परमजीत सिंह, सदस्य ने बद्दी, विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत ईसाई धर्मावलंबियों द्वारा किए जा रहे धर्म परिवर्तन का विषय उठाना चाहा।

माननीय अध्यक्ष ने उन्हें यह विषय नियमों के तहत सूचना देकर उठाने या माननीय मुख्य मंत्री को इस बारे में पत्र लिख कर सूचित करने के लिए कहा।

4. सांविधिक इकाई हेतु मनोनयन

श्री सुरेश भारद्वाज, शिक्षा मन्त्री ने निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत किएः-

(1) "That in pursuance of Section 23(1) (j) of the Sardar Vallabhbhai Patel Cluster University Act, two members of the State Legislative Assembly, are to be elected by the State Legislature for the term of the two years in the Governing Body of the University commencing from the date of publication of their name being as Members of the Governing Body of the Sardar Vallabhbhai Patel University Mandi in the Rajpatra in the manner prescribed by the Hon'ble Speaker."

प्रस्ताव स्वीकार।

(2) "That in pursuance of Section 18(f) of the Private Universities Act and Section 17(1) of the First Statutes of the Private Universities Act, two members of the State Legislative Assembly, are to be elected by the State Legislature for the term of two years in the Governing Body of 14 Private Universities, for a term of two years commencing from the date of publication of their being as Members of the Governing Body of the Private University subject to provisions of the First Statutes of the Private Universities."

Sr. No.	Name of the University
1.	Arni University, Kathgarh, Indora (Kangra)
2.	Shoolini University of Biotechnology & Management Sciences, Bajhol, District Solan
3.	IEC University Kallujhanda, Barotiwala, District Solan.
4.	Baddi University of Emerging Science & Technologies, Bhud, Badd i(Solan)
5.	Chitkara University, Kallujhanda, Barotiwala, District Solan.
6.	Bahara University, Waknaghat, District Solan
7.	Manav Bharti University, Village Sultanpur, District Solan.
8.	Career Point University, Tikker Kharwarian (Bhoranj), District Hamirpur, H.P.
9.	Sri Sai University Palampur (Kangra)
10.	APG Shimla University, Panthaghati, Shimla
11.	Indus International University, VPO Bathu, District Solan
12.	Eternal University, Baru Sahib, District Sirmour
13.	Mharishi Markandeshwar, University, Kumarhatti, Solan
14.	Abhilashi University, Chailchowk, Tehsil Chachiot, District Mandi

प्रस्ताव स्वीकार।

4. <u>विधायी कार्य</u>

सरकारी विधेयकों पर विचार-विमर्श एवं पारण

(i) **श्री महेन्द्र सिंह, सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मन्त्री** (प्राधिकृत) ने प्रस्ताव किया कि "हिमाचल प्रदेश राजभाषा (संशोधन) विधेयक, 2019 (2019 का विधेयक संख्यांक 4)" पर विचार किया जाए।

बिल पर खण्डशः विचार हुआ।

खण्ड 2, 3 और 4 विधेयक का अंग बने।

अनुसूची विधेयक का अंग बनी।

खण्ड 1, संक्षिप्त नाम और विधायी सूत्र विधेयक का अंग बने।

श्री महेन्द्र सिंह, सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मन्त्री ने प्रस्ताव किया कि "हिमाचल प्रदेश राजभाषा (संशोधन) विधेयक, 2019 (2019 का विधेयक संख्यांक 4)" को पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकार।

"हिमाचल प्रदेश राजभाषा (संशोधन) विधेयक, 2019 (2019 का विधेयक संख्यांक 4)" पारित हुआ।

(ii) **श्री महेन्द्र सिंह, सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मन्त्री (प्राधिकृत)** ने प्रस्ताव किया कि "हिमाचल प्रदेश विनियोग अधिनियम (निरसन) विधेयक, 2019 (2019 का विधेयक संख्यांक 6)" पर विचार किया जाए।

बिल पर खण्डशः विचार हुआ।

खण्ड 2 और 3 विधेयक का अंग बने।

अनुसूची विधेयक का अंग बनी।

खण्ड 1, संक्षिप्त नाम और विधायी सूत्र विधेयक का अंग बने।

श्री महेन्द्र सिंह, सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मन्त्री ने प्रस्ताव किया कि "हिमाचल प्रदेश विनियोग अधिनियम (निरसन) विधेयक, 2019 (2019 का विधेयक संख्यांक 6)" को पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकार।

"हिमाचल प्रदेश विनियोग अधिनियम (निरसन) विधेयक, 2019 (2019 का विधेयक संख्यांक 6)" पारित हुआ।

(iii) **श्री गोविन्द सिंह ठाकुर, वन मन्त्री (प्राधिकृत)** ने प्रस्ताव किया कि "हिमाचल प्रदेश स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2019 (2019 का विधेयक संख्यांक 5)" पर विचार किया जाए।

बिल पर खण्डशः विचार हुआ।

खण्ड 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 विधेयक का अंग बने।

अनुसूची विधेयक का अंग बनी।

खण्ड 1, संक्षिप्त नाम और विधायी सूत्र विधेयक का अंग बने।

श्री गोविन्द सिंह ठाकुर, वन मन्त्री ने प्रस्ताव किया कि "हिमाचल प्रदेश स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2019 (2019 का विधेयक संख्यांक 5)" को पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकार।

"हिमाचल प्रदेश स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2019 (2019 का विधेयक संख्यांक 5)" पारित हुआ।

(iii) **श्री वीरेन्द्र कंवर, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मन्त्री** ने प्रस्ताव किया कि "हिमाचल प्रदेश गोजातीय प्रजनन विधेयक, 2019 (2019 का विधेयक संख्यांक 7)" पर विचार किया जाए।

निम्नलिखित ने चर्चा कीः-

1. श्री जगत सिंह नेगी
2. श्री राकेश सिंघा

श्री वीरेन्द्र कंवर, माननीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

बिल पर खण्डशः विचार हुआ।

खण्ड 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 30 विधेयक का अंग बने।

अनुसूची विधेयक का अंग बनी।

खण्ड 1, संक्षिप्त नाम और विधायी सूत्र विधेयक का अंग बने।

श्री वीरेन्द्र कंवर, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मन्त्री ने प्रस्ताव किया कि "हिमाचल प्रदेश गोजातीय प्रजनन विधेयक, 2019 (2019 का विधेयक संख्यांक 7)" को पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकार।

"हिमाचल प्रदेश गोजातीय प्रजनन विधेयक, 2019 (2019 का विधेयक संख्यांक 7)" पारित हुआ।

<u>अध्यक्ष महोदय द्वारा प्रस्ताव</u>

अध्यक्ष महोदय ने स्वतः यह प्रस्ताव किया कि चूंकि पुलवामा में हुए आतंकी हमले में शहीद हुए सुरक्षाबलों के जवानों के सम्मान में पिछले कल सदन की बैठक शोकोद्गार व्यक्त कर समाप्त कर दी गई थी इसलिए यदि सदन चाहे तो आज सभा की बैठक को बैठक समाप्ति के निर्धारित समय 05.00 बजे अपराह्न से 07.00 बजे सायंकाल तक बढ़ाया जाएगा।

प्रस्ताव स्वीकार।

6. वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए बजट अनुमानों की अनुदान मांगों का प्रस्तुतीकरण, चर्चा एवं मतदान :

अध्यक्ष महोदय का संबोधन

"अब वित्तीय वर्ष 2019-2020 के बजट अनुमानों की अनुदान मांगों पर चर्चा एवं मतदान होगा। सभा का समय बचाने के लिए मैं माननीय मुख्य मंत्री, जिनके पास वित्त विभाग भी है, द्वारा प्राधिकृत सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मंत्री की ओर से सभी मांगों को सभा में प्रस्तुत हुआ समझता हूँ।"

सभी मांगें प्रस्तुत हुई समझी गईं।

मांग संख्याः 31 (जनजातीय विकास)

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि राज्यपाल महोदय को 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के दौरान मांग संख्याः 31 (जनजातीय विकास) के अन्तर्गत राजस्व और पूंजी के निमित्त क्रमशः 13,60,01,92,000/- और 3,75,37,95,000/- रुपये की धनराशियां संबंधित सेवाओं के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से दे दी जाएं।

मांग संख्याः 31 पर श्री जगत सिंह नेगी, श्रीमती आशा कुमारी, श्री मुकेश अग्निहोत्री तथा श्री आशीष बुटेल की ओर से कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए समझे गए।

निम्नलिखित ने चर्चा कीः-

1. श्री जगत सिंह नेगी

01.15 बजे अप0 सदन की बैठक भोजनावकाश के लिए 02.15 बजे अप0 तक स्थगित हुई।

02.15 बजे अप0 सदन की बैठक डॉ0 राजीव बिन्दल, माननीय अध्यक्ष की अध्यक्षता में पुनः आरम्भ हुई।

2. श्रीमती आशा कुमारी
3. श्री आशीष बुटेल

माननीय कृषि मंत्री द्वारा प्राधिकृत बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

कटौती प्रस्ताव अस्वीकार हुए।

मांग पूर्ण रूप से पारित हुई।

मांग संख्याः 10 (लोक-निर्माण-सड़क, पुल एवं भवन)

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि राज्यपाल महोदय को 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के दौरान मांग संख्याः 10 (लोक-निर्माण-सड़क, पुल एवं भवन) के अन्तर्गत राजस्व और पूंजी के निमित्त क्रमशः 35,40,27,60,000/- और 12,92,53,03,000/- रुपये की धनराशियां संबंधित सेवाओं के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से दे दी जाएं।

मांग संख्याः 10 पर सर्वश्री मुकेश अग्निहोत्री, जगत सिंह नेगी, हर्षवर्धन चौहान, राम लाल ठाकुर, मोहन लाल ब्राक्टा, लखविन्द्र सिंह राणा तथा श्री राकेश सिंघा की ओर से कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए समझे गए।

निम्नलिखित ने चर्चा कीः-

1. श्री मुकेश अग्निहोत्री
2. श्री हर्षवर्धन चौहान
3. श्री राम लाल ठाकुर
4. श्री मोहन लाल ब्राक्टा
5. श्री लखविन्द्र सिंह राणा
6. श्री राकेश सिंघा

माननीय मुख्य मंत्री द्वारा(प्राधिकृत सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

कटौती प्रस्ताव अस्वीकार हुए।

मांग पूर्ण रूप से पारित हुई।

मांग संख्याः 32 (अनुसूचित जाति उप-योजना)

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि राज्यपाल महोदय को 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के दौरान मांग संख्याः 32 (अनुसूचित जाति उप-योजना) के अन्तर्गत राजस्व और पूंजी के निमित्त क्रमशः 14,24,40,78,000/- और 11,18,25,22,000/- रुपये की धनराशियां संबंधित सेवाओं के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से दे दी जाएं।

मांग संख्याः 32 पर डॉ0 (कर्नल) धनी राम शांडिल, श्री नन्द लाल, श्री मोहन लाल ब्राक्टा और श्री जगत सिंह नेगी की ओर से कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए समझे गए।

निम्नलिखित ने चर्चा कीः-

1. डॉ0 (कर्नल) धनी राम शांडिल
2. श्री नन्द लाल
3. श्री मोहन लाल ब्राक्टा
4. श्री जगत सिंह नेगी

माननीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

कटौती प्रस्ताव वापिस हुए।

मांग पूर्ण रूप से पारित हुई।

संसदीय कार्य मंत्री द्वारा प्रस्ताव

माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि **दिनांक 18.02.2019, सोमवार** को आयोजित होने वाली सदन की इस सत्र की अंतिम बैठक के नियमानुसार प्रारम्भ होने के समय 02.00 बजे अपराह्न को सदन के महत्वपूर्ण कार्यों के दृष्टिगत रिलैक्स करके 11.00 बजे पूर्वाह्न किया जाए।

श्री मुकेश अग्निहोत्री, नेता प्रतिपक्ष ने प्रस्ताव का समर्थन किया।

माननीय अध्यक्ष ने उक्त प्रस्ताव के अनुसार हिमाचल प्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियम-17 के अन्तर्गत उनमें निहित शक्तियों का प्रयोग कर **दिनांक 18.02.2019, सोमवार** को आयोजित होने वाली सदन की बैठक का समय 02.00 बजे अपराह्न के स्थान पर 11.00 बजे पूर्वाह्न निर्धारित किया।

मांग संख्याः 8 (शिक्षा)

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि राज्यपाल महोदय को 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के दौरान मांग संख्याः 8 (शिक्षा) के अन्तर्गत राजस्व और पूंजी के निमित्त क्रमशः 66,41,11,31,000/- और 96,85,03,000/-रुपये की धनराशियां संबंधित सेवाओं के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से दे दी जाएं।

मांग संख्याः 8 पर श्रीमती आशा कुमारी, श्री मुकेश अग्निहोत्री, श्री हर्षवर्धन चौहान, श्री नन्द लाल, श्री जगत सिंह नेगी, श्री राम लाल ठाकुर और श्री राकेश सिंघा की ओर से कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए समझे गए।

निम्नलिखित ने चर्चा कीः-

1. श्रीमती आशा कुमारी
2. श्री हर्षवर्धन चौहान
3. श्री नन्द लाल
4. श्री राम लाल ठाकुर
5. श्री राकेश सिंघा

(**श्री राकेश सिंघा दिनांक 18.02.2019 को अपनी चर्चा जारी रखेंगे।**)

सायंकाल 07.00 बजे सदन की बैठक सोमवार, 18 फरवरी, 2019 के 11.00 बजे पूर्वाह्न तक स्थगित हुई ।